

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY LIBRARY PRESS CLIPPING SERVICE

THE INDIAN EXPRESS,

No religious structure will be razed at Mehrauli Park: DDA to HC

New Delhi: The Delhi Development Authority (DDA) informed the Delhi High Court recently that no religious structure will be removed from Mehrauli Archeological Park in its drive to remove encroachments from the area.

Appearing for the Delhi Waqf Board, senior advocate Sanjoy Ghose argued before a division bench of Chief Justice Satish Chandra Sharma and Justice Subramonium Prasad that the DDA is carrying out a demolition drive, including that of religious structures and graveyards, and therefore, the demolition deserves to be stayed.

Ghose argued that the demolition be stayed as there was a dispute over properties of the Waqf board in the area, and further submitted that the "demarcation process has not been completed till now".

Advocate Shobhana Takiar, appearing for the DDA, "categorically stated" that religious structures as well as graveyards will not be demolished. She submitted that the demolition will be done only as per the demarcation report which was prepared in 2021, and only encroachers are being removed. "No demolition with respect to any mosque is taking place," Takiar said.

In view of the submissions made by DDA, HC in its December 23 order observed that "no further orders were required to be passed on the grant of interim relief". The HC directed the DDA to file a detailed reply "positively in six weeks". The court directed the Waqf Board to implead the ASI as a party and listed the matter for hearing on April 21, 2023. ENS

नवभारत टाइम्स | नई दिल्ली | गुरुवार, 29 दिसंबर 2022

DATED

SHO लाइन हाजिर हुए तो दर्ज हुई FIR डीडीए से कब्जे की शिकायत 20 दिसंबर को मिलने पर भी दर्ज नहीं हुआ था केस

Shanker.Singh@timesgroup.com

एक पुलिस डिपार्टमेंट का अंदरूनी मामला है, जिसके बारे में कोई जानकारी साझा नहीं की जा सकती है।
-आर. सत्यसुंदरम, डीसीपी (शाहदरा)

थी, जिसे लेकर उनको पहले भी चेतावनी दी गई थी। इस बार सरकारी महकमे से शिकायत मिलने के बावजूद मुकदमा दर्ज नहीं करने पर एसएचओ को नाप दिया गया। पुलिस सूत्रों ने बताया कि दिल्ली विकास

प्राधिकरण (डीडीए) के इन्जेक्टिव इंजीनियर ने कड़कड़ूमा गांव (करण गली विश्वास नगर) स्थित 350 स्क्वायर गज भूमि पर कब्जा होने की शिकायत 20 दिसंबर को फर्श बाजार थाने को दी गई थी। इस पर अवैध रूप से टिन शेड लगाने की जानकारी भी दी गई। इसी प्लॉट पर अवैध कब्जे को लेकर पुलिस को दो भाइयों की तरफ से तीन कॉल भी मिली थी। लेकिन पुलिस की तरफ से मुकदमा दर्ज नहीं किया गया था। इसके बाद 21 दिसंबर को इन्जेक्टिव इंजीनियर ने इस अवैध कब्जे को हटाने के लिए पुलिस फोर्स मांगी थी।

पुलिस अफसरों ने बताया कि पुलिस और डीडीए अफसरों के बीच अवैध कब्जे को हटाने के लिए 27 दिसंबर की तारीख तय की गई। प्लॉट के दोनों तरफ टिन शेड लगे हुए थे। पुलिस की मौजूदगी में डीडीए स्टाफ ने इसे हटा दिया। इसी दौरान गोकलपुर गांव के मनी चौधरी ने प्लॉट अपना और अपने गांव के ही अरुण गौड़ का होने का दावा किया। टिन शेड भी दोनों की तरफ से लगवाने की बात कही। लेकिन एसएचओ ने इस मामले में फिर भी केस दर्ज नहीं किया। लिहाजा अफसरों ने एसएचओ को लाइन हाजिर करने का फरमान सुना दिया।

डीडीसीए लीग

कादिर की बैटिंग कादिर मिर्जा (91) और शिवम यादव (51) की उम्दा बैटिंग और विमान्यु (3/33) व आशीष मीणा (3/44) की अस्तरदार बोलिंग के दम पर डीडीए (212/6) ने दिल्ली सीसी (208/6) को 4 विकेट से हरा दिया।

अमित का खेल अमित त्यागी (60 रन और 1/35) के ऑलराउंड खेल और मुकुल (3/38) व जसराज सिंह (2/52) की मदद से आजम खान क्लब (168/8) ने दिल्ली ब्लूज (160/10) को 8 विकेट से हरा दिया।

दैनिक जागरण III

प्राथमिकी दर्ज नहीं करने पर थाना प्रभारी लाइन हाजिर

पूर्वी दिल्ली : शाहदरा जिले के फर्श बाजार थाना प्रभारी इस्पेक्टर विक्रम सिंह को लाइन हाजिर कर दिया गया है। डीडीए की जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ प्राथमिकी नहीं करने के कारण यह कार्रवाई हुई है। उनकी जगह अतिरिक्त थानाप्रभारी के रूप में कार्यरत इस्पेक्टर बाबूलाल मीणा को थाने का जिम्मा सौंपा गया है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की है। हालांकि विवरण नहीं दिया गया है। जानकारी के अनुसार फर्श बाजार के विश्वास नगर में डीडीए की जमीन पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया था। इसको लेकर झगडा भी चल रहा था। एक सप्ताह पहले हंगामा हुआ था। (जास)

हिन्दुस्तान

फर्श बाजार थाना प्रभारी लाइनहाजिर

नई दिल्ली, कां.सं.। शाहदरा के फर्श बाजार थाने के एसएचओ को लाइन हाजिर किया गया है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की है।

विश्वास नगर के आईपी विवि के विपरीत डीडीए की जमीन है। जिस पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है। एसएचओ पर विश्वास नगर में डीडीए की जमीन पर अवैध कब्जे के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने का आरोप है। लाइन हाजिर करने के बाद विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY LIBRARY PRESS CLIPPING SERVICE

millenniumpost

THURSDAY, 29 DECEMBER, 2022 | NEW DELHI

NAME OF NEWSPAPERS

IN MEHRAULI ARCHAEOLOGICAL PARK

Religious structures, graveyards not be demolished, HC told

OUR CORRESPONDENT

NEW DELHI: The Delhi High Court has dismissed a petition against the removal of "unauthorised encroachers" from the Mehrauli Archaeological Park area while recording that religious structures as well as graveyards will not be demolished in the process.

The counsel for the Delhi Development Authority (DDA) said it has marked the encroachments on a "demarcation plan" and the action was being taken by it pursuant to a notice issued on December 12

in compliance with the judicial orders for removal of all encroachments except religious structures.

The petitioners, who claimed to be residing and earning their livelihood in the area, contended that a certain portion of the Mehrauli Archaeological Park consisted of graveyards, mosque, monuments, residence and shops, etc., which fell under the purview of the Delhi Waqf Board and therefore the proposed demolition order was without any jurisdiction.

Justice Manmeet Pritam



Singh Arora observed that a division bench of the high court had directed the DDA and the Archaeological Survey of India to remove all encroachers from the park and that the land admittedly belonged to the Government of India.

The judge said the petitioners have no locus to maintain the proceedings and a division

bench of the high court has already refused to restrain the implementation of the order on a petition by the Delhi Waqf Board which is actively pursuing its remedies.

"This Court has been informed that on 23.12.2022, the Division Bench in the said proceedings (initiated by Delhi Waqf Board) has after record-

ing the statement of Respondent No.1 (DDA) that religious structures as well as graveyards will not be demolished and further, that the demolition will be done only as per the demarcation report has declined to grant any further interim relief. The Division Bench has thus declined to restrain the implementation of the order dated 12.12.2022," recorded the court in its order.

"It is thus evident that Respondent No.3 (Delhi Waqf Board) is actively pursuing its legal remedies to safeguard its rights in the waqf properties

falling in the Mehrauli Archaeological Park and therefore, the present petition is merely a multiplication of the proceedings seeking similar reliefs," the court said.

The counsel for the Delhi Waqf Board also said that it is not the intention of the board to protect encroachers who are sought to be removed as per the order.

"This Court is of the opinion that the present petition at the behest of petitioners is not maintainable and the same is, therefore, dismissed," the court said.

अमर उजाला

आदेश की अवहेलना करने पर एसएचओ लाइन हाजिर

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। शाहदरा जिले के फर्श बाजार थाना प्रभारी विक्रम सिंह को लाइन हाजिर कर दिया गया है। आरोप है कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के आदेश के बाद भी उन्होंने डीडीए की जमीन पर अवैध कब्जे के मामले में एफआईआर दर्ज नहीं की। कई बार कहने के बाद भी जब मामला दर्ज नहीं किया गया तो उनको तुरंत लाइन में भेज दिया गया। जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की है।

डीडीए की जमीन पर अवैध कब्जे के मामले में एफआईआर दर्ज करने का मिला था आदेश

घटना की पुलिस महकमे में जबर्दस्त चर्चा है।

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, फर्श बाजार इलाके के विश्वास नगर में डीडीए की जमीन पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जा किया हुआ था। इसको लेकर झगड़ा भी चल रहा था। एक सप्ताह पूर्व खूब बवाल भी हुआ। घटना के बाद डीडीए ने पुलिस की मदद से जमीन को खाली करवाकर

अतिक्रमण से मुक्त करा लिया था। इसके बाद कब्जा करने वालों के खिलाफ डीडीए की ओर से शिकायत दी गई थी।

शिकायत में आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज करने के लिए कहा गया था। मामले पर खुद पुलिस उपायुक्त आर.सत्यसुंदरम ने एसएचओ को कॉल कर एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा था। तीन दिन बीत जाने के बाद भी जब विक्रम सिंह ने एफआईआर दर्ज नहीं की। इससे उच्चाधिकारी नाराज हो गए।

दैनिक भास्कर

फर्श बाजार थाने के एसएचओ लाइन हाजिर

भास्कर न्यूज़ | नई दिल्ली

शाहदरा डिस्ट्रिक्ट के फर्श बाजार थाने के एसएचओ विक्रम सिंह को लाइन हाजिर कर दिया गया। उन पर काम के प्रति लापरवाही बतारने की बात कही गई है। वह पहली बार एसएचओ बनाए गए थे। बताया गया है डीडीए की एक जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर शिकायत दी गई थी। पुलिस ने फोर्स का इस्तेमाल कर उस जमीन को खाली तो करवा लिया लेकिन इस मामले को लेकर मुकदमा दर्ज नहीं किया था। इस मामले को लेकर सीनियर अफसर की ओर से मिले आदेश को भी गंभीरता से नहीं लिया। इस वजह से मंगलवार को उन्हें लाइन में भेजने के आदेश जारी हो गए। उन्हें तत्काल प्रभाव से जिले की लाइन में रिपोर्ट करने के लिए कहा गया।

पंजाब केसरी

अवैध कब्जे को लेकर नहीं की कार्रवाई, एसएचओ लाइन हाजिर

पूर्वी दिल्ली, (पंजाब केसरी) :

विश्वास नगरइलाके में स्थित डीडीए की जमीन पर अवैध कब्जा होने के बाद कार्रवाई न करने पर शाहदरा डिस्ट्रिक्ट के फर्श बाजार थाने के एसएचओ विक्रम सिंह को लाइन हाजिर किया गया है। सूत्रों का कहना है कि एसएचओ ने वरिष्ठ अधिकारियों के कहने के बाद भी इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं की। इसके बाद उन्हें लाइन हाजिर किया गया। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की है। सूत्रों का कहना है कि विश्वास नगर इलाके में स्थित आईपी यूनिवर्सिटी के विपरीत एक डीडीए की जमीन पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जा किया हुआ था। इसको लेकर पिछले कई सालों से विवाद चल रहा था। करीब 5-6 दिन पूर्व इस जमीन को लेकर झगड़ा भी हुआ था। डीडीए ने इस जमीन पर बने अतिक्रमण को टुड़वा दिया है। इस मामले में डीडीए की तरफ से भी पुलिस को एक शिकायत दी गई थी। शिकायत के बाद पुलिस ने फोर्स के बाद जगह को तो खाली करवा दिया था। लेकिन इस मामले में शिकायत दर्ज नहीं की। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी इस मामले में एसएचओ केस दर्ज करने के आदेश दिए थे। लेकिन वह इस मामले में लापरवाही बरतते रहे। कार्रवाई न करने पर उन्हें लाइन हाजिर कर दिया गया।